कार्यालय उप वन संरक्षक, इ.गां.न.प. स्टेज–II बीकानेर

क्रमांकः एफ ( )सर्वे/उ.व.सं.–II/24–25/7670 दिनांकः–9-12-24

निमित्त,

परियोजना निदेशक,
NHAI, C–38 सादुल गंज
बीकानेर

DO/Sh. Rajniji
12/12/2024

विषयः– Diversion of 11.8259 ha. Of forest land of national highways authority of India Bikaner for upgradation to 2 lane with paved shoulder/4 lane of Khajuwala Poogal section (Design chainage 0.0 to 30.812) and Poogal-Dantour-Jaggasar- Gokul-Goddu – Ranjitpura- Charanwala- Naukh-Baap (प्रसं FP/RJ/ROAD/41036 /2019)

प्रसंगः– अ.प्र.मु.व.प्रो.,नोडल अधिकारी F.C.A., जयपुर का पत्रांक 3007 दिनांक 18.9.24 एवं आपका पत्रांक 9031–34 दिनांक 30.10.24, समुवसं, बीकानेर का पत्रांक 10137–40 दिनांक 29.11.24

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि Diversion of 11.8259 ha. Of forest land of national highways authority of India Bikaner for upgradation to 2 lane with paved shoulder/4 lane of Khajuwala -Poogal section(Design chainage 0.000 to 30.812) and Poogal-Dantour-Jaggasar-Gokul-Goddu- Ranjitpura-Charanwala- Naukh-Baap (प्रस्ताव स.FP/RJ/ROAD/41036/2019) में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्र दिनांक 18.'09.24 एवं नोडल अधिकारी एफसीए, जयपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में VIOLATION संबंधी सुचना मांगी गई हैं। इस कार्यालय द्वारा वन भूमि में Violation संबंधी की गई कार्यवाही के दस्तावेज संलग्न अनुसार हैं। अतः आप संलग्न दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि भारत सरकार को उक्त प्रकरण की पालना रिपोर्ट प्रेषित की जा सकें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प स्टेज– II
बीकानेर

भारमाप्रा, पकाई, बीकानेर
प्राप्त
Receipt No. 1274
दिनांक Date 12/12/2024
NHAI, PIU, BIKANER

क्रमांकः–सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक,बीकानेर।

उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प स्टेज– II
बीकानेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, इ.गां.न.प. स्टेज–II बीकानेर

क्रमांक एफ ( )सं/उ.व.स.–स्टेज–II/24–25/ 6886
निमित्त, दिनांक:– 18-11-24

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर।

विषय:– Diversion of 11.8259 ha. Of forest land of national highways authority of India Bikaner for upgradation to 2 lane with paved shoulder/4 lane of Khajuwala Poogal section(Design chainage 0.000 to 30.812) and Poogal-Dantour-Jaggasar- Gokul-Goddu- Ranjitpura-Charanwala- Naukh-Baap (प्रस FP/RJ/ROAD/41036/2019)

प्रसंग:– अ.प्र.मु.व.प्रो.,नोडल अधिकारी F.C.A., जयपुर का पत्रांक 3007 दिनांक 18.9.24 एवं आपका पत्रांक 9031–34 दिनांक 30.10.24

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि Diversion of 11.8259 ha. Of forest land of national highways authority of India Bikaner for upgradation to 2 lane with paved shoulder/4 lane of Khajuwala-Poogal section(Design chainage 0.000 to 30.812) and Poogal-Dantour-Jaggasar-Gokul-Goddu- Ranjitpura-Charanwala- Naukh-Baap (प्रस्ताव स.FP/RJ/ROAD/41036/2019) में इस वनमंडल परिक्षेत्र में 0.05 हैक्टेयर वन क्षेत्र में Violation किया गया है। जिसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:–

(A) इस वन मण्डल के 0.05 हैक्टर वन क्षेत्र में Violation किया गया है। जिसकी Penal NPV राशि 4380/–यूजर एंजेन्सी द्वारा NEFT NO. पी 325200073527926 दिनांक 20.02.2020 द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करवा दिये गये है। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1217 दिनांक 19.02.2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी संवैधानिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट में श्रीमान जी को प्रेषित की गयी है। Penal NPV की गणना एफ.सी.ए.की गाईड लाईन के पांइट–1.21 (B) के अनुसार की गयी है। गाईडलाईन में निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार नियेदन है:–

पाइंट न.: 1.21–(B) अनुसार Public utility project है अतः NPV Value का 20 प्रतिशत शास्ति लगाई गई है।

(C) कोई भी सरकारी कर्मचारी दोषी नही था।अतः कार्यवाही प्रस्तावित नही की गई। प्रकरण में यूजर एजेन्सी द्वारा सड़क निमार्ण के दौरान दुर्घटना से बचाव हेतु पास स्थित भूमियों से मृदा खोद कर बर्म पर डाली गई थी। ऐसे में चार स्थानो पर जिनका कुल क्षेत्रफल 0.05 हैक्टर था वन भूमि से मृदा उठाने का कार्य अज्ञानतावश किया गया जिसके विरूद्ध विभागीय एफ.आई.आर. संख्या 35/1 दिनांक 08.08.2020, 49/37 दिनांक 19.12.2019, 293/42 दिनांक 07.08.2020, 35/2 दिनांक 08.08.2020 दर्ज कर एवजाना लिया गया है। किसी कर्मचारी/अधिकारी का involment नही पाया गया है व petty offence होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नही की गई।

(D)यूजर एजेन्सी से संलग्न एफ.आई.आर. अनुसार राजस्थान वन अधिनियम के तहत कार्यवाही सम्पादित कर एवजाना/शास्ति ली गई है।

Detail of FIR

क्र. स.	एफ.आई.आर. न. दिनांक	नाम अपराधी	घटनास्थल	एवजाना/शास्ति मय राशि
1	35/1 दिनांक 08.08. 2020	सुखराम/कल्लूराम मेघवाल निवासी गोडू	25आर.डी.पी.एस.एस.एम. चक चार पी.एस. एस.एम.	28000/–
2	49/37 दिनांक 19.12. 2019	शिवराज/राधाकिशन बिश्नोई निवासी गोडू	19 जी.एम.आर.(गोडू)	30000/–
3	293/42 दिनांक 07.08. 2020	आसू सिंह/बलेसिंह राजपूत निवासी चारणवाला	5 एच.एल.एम./7/8 जी. एम.	31000/–
4	35/2 दिनांक 08.08. 2020	मघाराम/घतराराम निवासी गोडू	19 जी.एम.आर.	25000/–

संलग्न:–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प स्टेज– II
बीकानेर

क्रमांक:–सम/ 6887
दिनांक:–18-11-24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए.राजस्थान जयपुर।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

उप वन संरक्षक
इ.गा.न.प स्टेज– II
बीकानेर

F. D. Form No. 8

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

First Information Report

प्रथम प्रति

पुस्तक क्रमांक 35 पृष्ठ क्रमांक 2

1. तारीख रिपोर्ट 8-8-20

2. दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान मघाराम S/o चतराराम जाति मेघवाल नि० गोड़

अपराध का विवरण वन भूमि तोड़ना

घटना का स्थान 1.9 GMR

दिनांक अपराध करने का 7-8-20

विवरण पैदावार जंगल जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही की गई प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई

किसकी सुपुर्दगी में रखा गया ? हस्ब जाब्ता

नाम साक्षी 1. श्री तेजसिंह स० वनपाल

2. श्री जेठाराम वृ० पा०

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

Scanned with OKEN Scanner

राज० वन अधिनियम 1953 की धारा 30, 31, 32 के अन्तर्गत

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

293

पुस्तक संख्या

(1) तारीख रिपोर्ट 07/08/2020

(2) दोषी का नाम, जाति एवं निवासस्थान ओसु सिंह पिता जालो सिंह जाति राजपूत चारनावास

(3) अपराध का विवरण वन भूमि तोड़ना

(4) घटना का स्थान SHCM / गोडवास

(5) दिनांक अपराध करने का 06/8/2020

(6) विवरण, विवादग्रस्त माल जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही की गई नियमानुसार कार्यवाही

(7) किसके सुपुर्द माल रखा गया तहवील राज सरकार

(8) नाम साक्षी 1. गोपाल सिंह वनरक्षक

2. हेमाराम, वेलदार

Compounded by ACF
Receipt No
136718
Dt. 17/2/21
Amount 2000/-

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

(9) नोट :- रिपोर्ट कुनिन्दा को सूचना मिलने के 24 घण्टे के अन्दर ... सूचना रवाना करनी चाहिये।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी इकाई गौड़

क्रमांक :- Comp Haparsar SPL-02 दिनांक :- 24/08/2021

प्रतिनिधि :- श्रीमान उप वन संरक्षक
इ. गा. न. प. स्टेज II
बीकानेर ।

विषय :- सड़क निर्माण कार्य NH-911 (भारतमाला परियोजना) में FCA के उल्लंघन बाबत ।

सन्दर्भ :- श्रीमान जी से दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रेंज इकाई गौड़ के अधीन सड़क निर्माण कार्य में गुजर एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन पूर्व में वन खण्ड 19GMR में 0.0125 हैक्टर व वनखण्ड 4PSSM में 0.0125 हैक्टर पर किया गया था । इस उल्लंघन पर गुजर एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार मुकदमे दर्ज किये गये ।

क्र.सं.	FIR No & Date	Receipt No. & Date	Amount
1	49/37 19-12-19	5/3 19-2-2021	30,000=00
2	35/01 8-8-20	5/4 19-2-2021	28000=00
3	35/02 8-8-20	5/5 19-2-2021	25000=00

उक्त मुकदमो मे हर्जाना प्राप्त कर निस्तारण कर दिया गया है इसके पश्चात गुजर एजेन्सी द्वारा कोई उल्लंघन नही किया गया है एवं सड़क निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है ।

रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
इकाई गौड़ / ....

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, इकाई-चतुर्थ 29 RD भूरासर।

क्रमांक: Camp-Mahasar-SPL-01 दिनांक: 24-08-2021.

निमित्त: श्रीमान उपवन संरक्षक,
इ.गा.न.परि. स्टेज-II,
बीकानेर।

विषय: सड़क निर्माण कार्य NH-911 (भारत माला परियोजना) में FCA के उल्लंघन बाबत्।

सन्दर्भ: श्रीमान जी से हुई दूरभाष पर वार्ता के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रेंज-इकाई-चतुर्थ 29RD भूरासर के अधीन सड़क निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन गुज्जर एजेन्सी द्वारा पूर्व में कम्पार्टमेंट-5 HLM में 0.0250 है० पर किया गया था इस उल्लंघन पर गुज्जर एजेन्सी विरुद्ध FZR No. 293/42, दि० 7-8-2020 का मुकदमा दर्ज कर रसीद नं. 1367/18 दि० 19-2-2021 राशि 31000/- रुपये का हर्जाना वसूल कर लिया गया है। इसके पश्चात् गुज्जर एजेन्सी द्वारा अन्य कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। एवं गुज्जर एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
इ.गा.न.प.
स्टेज II इकाई चतुर्थ
मु. 29 RD भूरासर

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

43 प्रथम प्रति 37

पुस्तक क्रमांक पृष्ठ क्रमांक

9/[illegible]

(1) तारीख रिपोर्ट

(2) दोषी का नाम, जाति एवं निवासस्थान [illegible]

[illegible]

(3) अपराध का विवरण [illegible]

(4) घटना का स्थान [illegible]

(5) दिनांक अपराध [illegible] 16/[illegible]

(6) विवरण [illegible] जो कार्यवाही की गई [illegible]

(7) किसको सुपुर्दगी में रखा गया [illegible]

(8) नाम साक्षी 1. [illegible]राम [illegible]

2. [illegible]

[illegible]

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

F. D. Form No. 4

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

First Information Report

प्रथम प्रति

पुस्तक क्रमांक 35 पृष्ठ क्रमांक 1

1. तारीख रिपोर्ट 8-8-20
2. दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान सुखराम S/o. कल्लूराम जाति मेघवाल निवासी गाउ
3. अपराध का विवरण वन भूमि तोड़ना
4. घटना का स्थान 25 RD PSSM चक 4 PSSM
5. दिनांक अपराध करने का 7-8-20
6. विवरण पैदावार जंगल जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही की गई प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई
7. किसकी सुपुर्दगी में रखा गया ? हस्ब जाब्ता
8. नाम साक्षी 1. श्री तेज सिंह स. वनपाल
   2. श्री गोपाल स. वनपाल

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

गोपाल

Scanned with OKEN Scanner

रा. शु. 3.   पृ. 1

राजस्थान (फॉर्म्स मामलात) नं. 1 (क)

वन विभाग, राजस्थान

डिविजन स्रेंज II, बीकानेर

(जहां पर रहता हो)

बुक नं. 5 जरिये F.I.R. No. 35/2 8-8-2020

सादर नं.   सं. 207

नाका नं.   ता. 19-2-2[illegible] मियाद   से   तक

नाम नाका गोडू   नाम रेन्ज गोडू

नाम जंगल जहां से पैदावार लाई जावे 19GMR

पैदावार कहां जावेगी

मियाद

नाम खरीददार मघाराम / चतराराम

सकूनत मय पता निवासी गोडू

मार्फत स्वयं

किस्म पैदावार वन भुमि तोडना

तादाद

शरह

तादाद महसूल

रकम पच्चीस हजार अंकों में 25000=00

साबिक 58000 हाल 25000 मीजान 83000=00

दस्तखत इजराय कुनिन्दा

दस्तखत व्यापारी

[signature]

एजाज

रा. मु. उ.

वन विभाग (कार्य आयोजना) (प.)

वन विभाग, राजस्थान

डिविजन स्टेज II, लीकमेरू

(नाम पर ख़ुल ता)

रुक नं. जरिये FIR No. 35/1 8-8-20

सदर नं. 5 नं. 207

नाका नं. ता. 19-2-20 मियाद से तक

नाम नाका 25RD PSSM नाम रेन्ज रावतसर गोडू

नाम जंगल जहां से पंदावार लाई जावे 25RD PSSM पर 9PSSM

पंदावार कहां जावेगी

मियाद

नाम खरीददार सुखराम / करल राम मेघवाल

सकूनत मय पता निवासी गोडू

मार्फत स्वयं

किस्म पंदावार वन भूमि तोडना

तादाद शरह

तादाद महसूल

रकम अठाईस हजार अंकों में 28,000=00

साबिक 30,000 हाल 28,000 मीजान 58000=00

ह. दजराय कुनिन्दा

ह. व्यापारी

[signature]

एजाज

[illegible]

वन विभाग, राजस्थान

[illegible] II, बीकानेर

([illegible]) 3

रुक़ नं. गोरने FIR No. 49/37

सदर नं. 5 19-2-2021 19-2-19 नं. 107

नाका नं. ता. मियाद से तक

नाम नाका गोड़ु नाम रेन्ज गोड़ु

नाम जंगल जहां से पैदावार लाई जावे

पैदावार कहां जावेगी

मियाद

नाम खरीददार शिवराज / राधाकिशन बिश्नोई

सकूनत मय पता नि. ~~फूलासर~~ गोड़ु

मार्फत जितेन्द्र सिंह

किस्म पैदावार एवजाना मिट्टी खोदकर पौधे नष्ट करने

तादाद बारह

तादाद महसूल

रकम 30000=00 अंकों में तीस हजार मात्र

साबिक — हाल 30000=00 मीजान 30000=00

द. इजराय कुनिन्दा

द. व्यापारी

[signature]

एजाज

नम्बर 3

वन विभाग ... फार्म ... नं० 1 (क)

वन विभाग राजस्थान
उ०व०सं० इकाई II BKN

1367 पुस्तक नं० 18

19/5/2021 सं० 2014

... विभाग ... नाम

नाम रेन्ज इकाई चतुर्थ 29RD

नाम मुलजिम ओमू सिंह / बले सिंह, राजपूत

सकूनत मय पता चारण वाली

मातहत जितेन्द्र सिंह

किस्म पैदावार वन भूमि तोड़ना

तादाद ... वजन

तादाद महसूल

रकम 31,000/- अक्षरे इकतीस हजार रुपये

सा मुचलका ... मुल ... मीजान

ह० ...

ह० ...

[illegible]

वनरक्षक